कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 16.09.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. चन्द्रावती पत्नी उदय नारायन नि0 नई बस्ती इमिलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 243 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शिव कुमार पुत्र दसई नि0 बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 289 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. भोनकला पत्नी स्व0 रामकैलाश नि0 जफरापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 396 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जुगुनू पुत्र जागेश्वर नि0 बनगवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 239 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अशोक कुमार पुत्र हनुमान नि0 सराय जरगर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 392 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नागेन्द्र पुत्र रामचरन लाल नि0 गिलुआ बनन्दरहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 348 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जुल्लू पुत्र रामदास नि0 पचमरी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 372 / 20, 02. रामशरण पुत्र जंगली नि0 मुजही थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 373 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विन्दू पत्नी दिनेश सोनकर नि0 भटपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 709 / 20, 02. हरीश पुत्र स्व0 हिरऊ सोनकर नि0 भटपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 710 / 20, 03. चन्द्रपाल पुत्र गुरुप्यारे नि0 बनवरिया बढ़ई पुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 711 / 20, 04. इन्द्र कुमार पुत्र राम नरायन नि0 भगहर बुलन्द थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 712 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मारपीट करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त- मनीराम धोबी पुत्र हनुमान धोबी नि0 हरैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-288 / 20, धारा 323.504.427.324.308.325 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने नॉद (हौदी) हटाने को लेकर वादी श्री रामबरन पुत्र अनन्तराम धोबी नि0 अर्जुनपुर धोबीपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा व वादी की दादी को गाली- गुप्ता देते हुए मारा- पीटा था, जिससे वादी रामबरन मौके पर बेहोश हो गये थे। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त फरियाद अहमद पुत्र वकील नि0 आर्यनगर छितौली थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 169 / 20, धारा 354 भादवि0 व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना कौड़िया में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोंग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लापरवाही पूर्वक मोटर साईकिल चलाकर एक्सीडेन्ट करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने लापरवाही पूर्वक मोटर साईकिल चलाकर एक्सीडेन्ट करने के आरोपी अभियुक्त अली हुसैन पुत्र किस्मत अली नि0 असरथा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 233 / 20, धारा 279.304 ए. भादवि0 व 184 एम0वी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने लापरवाही पूर्वक मोटर साईकिल चलाकर वादी के पिता को घर से चौराहे की तरफ जाते समय टक्कर मार दिया था। जिससे वादी श्री रामदीन यादव पुत्र मेलाराम नि0 कुसैला पूरे मैनीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के पिता की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में

उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को कस्बा तरबगंज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलवा व जानलेवा हमला करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने बलवा व जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त- सुड्डू सिंह उर्फ बृजेश पुत्र नन्हकऊ सिंह नि0 चंदापुर गुरेहटी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-282 / 19, 147.148.149.323.307.504.506 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ एकराय होकर पुरानी रंजिश के चलते वादिनी श्रीमती सोनम सिह पत्नी सुनील सिंह नि0 चंदापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के पति को लाठी- डण्डा, भाला आदि धारदार हथियार से मारा- पीटा था, जिससे वादिनी के पति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।